न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री नेमा राम आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 70/2025
सीएमएस संख्या–2025/99

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 बाबूराम पुत्र भींयाराम जाति विश्नोई निवासी रामड़ावासकलां तहसील पीपाड़ शहर		1.भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर 2.आसुलाल पुत्र चोखाराम 3. ऐलची पुत्री मलाराम 4. ओमकी पुत्री चोखाराम 5. केली पुत्री मलाराम 6. चुकीदेवी पत्नि मलाराम 7. चम्पा पुत्री चोखाराम 8. जिमना पुत्री चोखाराम 9. पिस्ता पुत्री चोखाराम 10. बुधाराम पुत्र विरमराम 11.बरजू पुत्री चोखाराम 12. मेहराम पुत्र हरजीराम 13. मांगली पत्नि तेजाराम 14. मीरा पुत्री चोखाराम 15. रामदीन पुत्र मलाराम 16. सुआ पत्नि चोखाराम 17. सुखराम पुत्र हरजीराम 18. सहीराम पुत्र चोखाराम 19. सोहनी पुत्री चोखाराम 20. हनुमानराम पुत्र मलाराम जातियान विश्नोई निवासीगण रामड़ावासकलां तहसील पीपाड़ शहर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम

दर्ज दिनांक 24/04/2025

उपस्थित अधिवक्ता
1. ओमप्रकाश कच्छावाहा प्रार्थी ओर से
2. तहसीलदार पीपाड़ शहर अप्रार्थी व अन्य

निर्णय

दिनांकः– 16/04/2026

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम रामड़ावास कला तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 166 रकबा 3.0311 हैक्टेयर केस्म बारानी भूमि आई हुई है सबूत मे नकल जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 की प्रमाणित प्रति व नक्शा किस्तवार की प्रमाणित प्रति संलग्न पेश है। यह है कि वादग्रस्त भूमि के उत्तरी तरफ अप्रार्थी संख्या 2 से 20 की भूमि खसरा नम्बर 165 क्षेत्रफल 11.7036 हैक्टेयर आई हुई है, पुरानी मॉठ कायम की हुई है प्रार्थी की वादग्रस्त भूमि व अप्रार्थी संख्या दो से बीस की भूमि के बीच में पुरानी मॉठ कायम की हुई है। मॉठ के उत्तरी तरफ अप्रार्थी संख्या दो से बीस काबिज होकर काश्त कर रहे है व मॉठ के दक्षिणी तरफ प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में काबिज होकर काश्त कार्य करता आया है। अप्रार्थी संख्या दो से बीस व प्रार्थी के बीच में स्थित मॉठ पुरानी होने से मौके पर खुर्द–बुर्द हो गई है प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाकर वादग्रस्त भूमि के चारों तरफ पक्की दीवार बनाना चाहता है इसलिए वादग्रस्त भूमि की पैमाईस की जाकर वादग्रस्त आराजी के उत्तरी तरफ की सीमा पर पत्थरगढी/मुडागढी करवाई जावें।यह है कि वादग्रस्त भूमि की पेमाईश की जाकर सीमांज्ञान किया जाकर वादग्रस्त भूमि का नाप चोप किया जाकर सीमा कायम की जाकर पत्थरगढ़ी/मुण्डागढ़ी करवाई जावें। प्रार्थी वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 166 पर खातेदार काश्तकार की हैसियत से काबिज काश्त है वादग्रस्त भूमि के उत्तरी सीमा पर स्थित मॉठ पुरानी होने से व खुर्द–बुर्द होने से प्रार्थी वादग्रस्त भूमि की पैमाईस

उपखण्ड अधिकारी

करवाकर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाना चाहता है। इस पर यह प्रार्थनापत्र बाबत् पत्थरगढी हेतु पेश है। प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र पेश कर न्यायालय हाजा से विन्रम निवेदन है के ग्राम रामड़ावास कला में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 166 क्षेत्रफल 3.0311 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करवाई जाकर सीमा कायम करके पत्थरगढ़ी/मुण्डागढ़ी करने का आदेश फरमावें।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को समन जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 02 से 20 बाद समन डीलीवर्ड फिर भी उनकी ओर से स्वंय या प्रतिनिधि अनुपस्थित, जिस पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत जवाब अनुसार ग्राम रामड़ावासकलां के खसरा नम्बर 166 का सीमांकन कर पत्थरगडी की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पक्षकारान की बहस सुनी, प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस करते हुए ग्राम रामड़ावासकलां के खसरा नम्बर 166 का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रार्थी के पक्ष में किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली, पत्रावली पर मौजूद दस्तावेज का अवलोकन एवं पक्षकारान् बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार है इसलिए वादग्रस्त आराजी का नापचौक सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाई जाना न्यायसंगत है। अत प्राथी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि ग्राम रामड़ावासकलां के खसरा नम्बर 166 का टीम गठित कर नापचोक व सीमांकन कर रूबरू पक्षकारान् के सीमा कायम करते हुए पैमाइश करवाकर पत्थरगढी करावे। इस बाबत् नियमानुसार शुल्क प्रार्थीगण राजकीय कोष में जमा करवायेगें। तहरीर जारी हो ।

(नेमा राम)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर

निर्णय आज खुले न्यायालय लिखवाया जाकर दिनांक 16/04/2026 को सुनाया गया।
पत्रावली फैसल शुमार हो

(नेमा राम)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर